

॥ कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला पाली (राज0) ॥

क्रमांक:-न-5(2)पाली-फोर्स/कानि.भर्ती-25/2025/6826

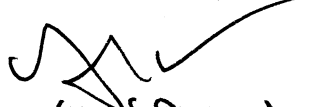
दिनांक:-24/12/2025

—: संशोधित प्रेस-नोट —:

इस कार्यालय के प्रेस नोट क्रमांक 6761 दिनांक 20.12.2025 के द्वारा पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर की विज्ञप्ति संख्या 5780 दिनांक 29.11.2025, संशोधित विज्ञप्ति संख्या 1535 दिनांक 26.04.2025 एवं 1762 दिनांक 12.05.2025 द्वारा कौन्स्टेबल भर्ती-2025 जिला पाली में कानि. सामान्य (नॉन-टीएसपी) के 162 एवं कानि. चालक (नॉन-टीएसपी) के 16 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की दिनांक 13.12.2025 को शारीरिक मापतौल एवं दक्षता परीक्षा (PET/PST) तथा कानि. चालक (नॉन-टीएसपी) की दक्षता परीक्षा (Proficiency Test) आयोजित कर समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् सफल अभ्यर्थियों का गठित चयन बोर्ड द्वारा चयन कार्यवाही की जाकर अभ्यर्थियों को वरियतानुसार कौन्स्टेबल सामान्य/चालक (नॉन-टीएसपी) के पद की चयन सूची पर लिया गया था।

अतः सभी चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अग्रिम चरण (बायोमेट्रिक सत्यापन/दस्तावेज सत्यापन/चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण) हेतु दिनांक 26.12.2025 से 28.12.2025 तक उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसमें अपरिहार्य कारणों से आंशिक संशोधन कर दिनांक 29.12.2025 से 31.12.2025 तक प्रातः 07.00 बजे रिजर्व पुलिस लाईन, पाली (पेवेलियन हॉल) में उपस्थिति होना सुनिश्चित करेंगे। जो कार्यक्रम निम्नानुसार है। शेष आदेश (प्रेस नोट) यथावत रहेगा।

क्र0सं0	पदनाम	चयन सूची क्रम संख्या	दिनांक	समय
1	कानि0सामान्य (नॉन-टीएसपी)	01 से 60	29.12.2025	प्रातः 07.00 बजे
2	कानि0सामान्य (नॉन-टीएसपी)	61 से 120	30.12.2025	प्रातः 07.00 बजे
3	कानि0सामान्य (नॉन-टीएसपी)	121 से 162	31.12.2025	प्रातः 07.00 बजे
	कानि0चालक (नॉन-टीएसपी)	01 से 16		

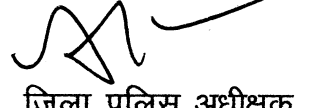

(आदर्श सिंघू IPS)
जिला पुलिस अधीक्षक,
पाली

प्रतिलिपी:- (अ) निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राज0 जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राज0, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर।
4. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय जयपुर/जोधपुर।
5. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पाली।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर।

(ब) निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला पाली।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।
3. समस्त वृताधिकारी, जिला पाली/समस्त थानाधिकारी, जिला पाली।
4. संचित निरीक्षक, पुलिस लाईन, पाली नोटिस बोर्ड पर चस्पा करे।
5. समस्त थानाधिकारी, जिला पाली।
6. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जिला पाली को भेजकर लेख है, कि प्रेस-नोट को स्थानीय/प्रादेशिक दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
7. सम्पादक दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका/दैनिक नवज्योति को प्रेषित कर लेख है, कि उपरोक्त प्रेस नोट जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
8. प्रभारी, डीसीआरबी, पाली को भेजकर लेख है, कि उक्त प्रेस नोट को राजस्थान पुलिस एवं जिला पाली की वेबसाइट पर अलपोट करावे।
9. प्रभारी, पुलिस कंट्रोल रूम, पाली को भेजकर लेख है, कि उपरोक्तानुसार सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जिला पाली को भेजकर इस प्रेस नोट की स्थानीय/दैनिक/प्रादेशिक एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रचारित/प्रसारित कराने की व्यवस्था करावें।


जिला पुलिस अधीक्षक
पाली